भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6060
बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उद्यम पूंजी कोष

6060. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतंरिक्ष क्षेत्र के लिए उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से कितने स्टार्टअपों में निवेश किया गया है और किए गए निवेश की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सहायता प्राप्त स्टार्टअपों की सूची, उनके नवाचार के क्षेत्र और इस कोष के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप द्वारा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में स्थित स्टार्टअपों द्वारा प्राप्त निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेश के उपयोग का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सहायता प्राप्त स्टार्टअपों द्वारा सरकार को प्रदान किए गए रिटर्न का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त कोष और उसके निवेश के माध्यम से सृजित होने वाले अनुमानित रोजगार का वर्ष-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कोष के माध्यम से स्टार्टअपों को प्रदान की गई तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (च)

अंतरिक्ष स्टार्टअपों के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना निवेश प्रबंधक के रूप में सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) द्वारा अंतरिक्ष उद्यम पूंजी कोष के नाम से की गई है। 31 अक्टूबर, 2025 को कोष को एसईबीआई का पंजीकरण प्राप्त हुआ और 10 नवंबर, 2025 को ₹1,005 करोड़ के प्रारंभिक समापन की घोषणा की गई। तत्पश्चात, एसईबीआई पंजीकरण के बाद की गतिविधियाँ, जैसे कि संरक्षक की नियुक्ति, एआईएफ इकाइयों के निर्गमन के लिए

..2/-

डिपॉजिटरिज के साथ पंजीकरण और छानबीन समिति तथा निवेश समिति (आईसी) के गठन, संबंधी कार्य संपन्न किए गए।

इसके समानांतर, स्पेसटेक स्टार्टअपों का मूल्यांकन जारी है और निवेश समिति के पूर्व अनुमोदन के बाद चार प्रस्ताव अग्रिम चरण में हैं। स्पेसटेक परितंत्र के प्रारंभिक चरण को देखते हुए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां स्टार्टअपों का संस्थागत निवेशकों के साथ सीमित या कोई पूर्व अनुभव नहीं रहा है, ऐसे स्टार्टअपों को ठोस सहायता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, ताकि वे अपने आंकड़ों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकें तथा स्वीकृति प्रक्रिया हेतु एसवीसीएल के साथ आवश्यक जानकारी साझा कर सकें।

इस सहायता से, एसवीसीएल को उम्मीद है कि वह जल्द ही विस्तृत मूल्यांकन पूरा कर लेगी और इसे निवेश समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करेगी। यह उम्मीद की जाती है कि तृतीय पक्ष द्वारा उचित जांच-पड़ताल और अंतिम दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर होने के बाद, एसवीसीएल वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में अनुमोदित स्टार्टअपों को वित्तपोषण प्रदान करने की स्थिति में होगी।
